5 रु. Rs.5 विलोपित पाँच रुपये FIVE RUPEES

10 Rs. COURT FEE INDIA भारत दस TEN RUPEES

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००६ पुनरावलोकन - 1587-I/09

श्री एस० के० श्रीवास्तव - एडवोकेट द्वारा आज दि० 23-11-09 को प्रस्तुत। रीडर राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

मोहम्मद शफीक पुत्र श्री हाफिज मोहम्मद अमीन, आयु ५८ वर्ष, निवासी शास्त्री वार्ड बीना, प्रभात टाकीज के पास, बीना, तेहसील जिला सागर

----- आवेदक

विरुद्ध

१) अजीज अहमद पुत्र खलील अहमद, निवासी एम० ई० एस० कालोनी, जबलपुर हाल निवासी अटाला, इलाहबाद (यू०पी०)

२) श्रीमति लैला पत्नि याकूब पुत्री खलील अहमद, निवासी अटाला अहमदाबाद यू०पी०

३) कु० शबीना पुत्री खलील अहमद, निवासी एम०ई० एस० कालोनी, जबलपुर मु०आम प्रमोदकुमार व्यास पुत्र श्री विष्णुप्रसाद एडवोकेट, निवासी बीना, तेहसील बीना, जिला सागर ---अनावेदकगण,

४) अफसरी बेगम पत्नि मोहम्मद इशाक, निवासी खेती सतना, तेहसील व जिला सतना म०प्र० ---तरतीवी अनावेदक,

मो सामोन
SKShrivastava
23/11/09

पुनरावलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांकी ५-११-०६ पारित द्वारा श्री सुकोमल चन्द्र वर्धन, न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (प्रशासकीय सदस्य) बउनवान अजीज अहमद आदि बनाम मोहम्मद शफीक आदि प्र० क्र० १२८३-दो।०६ निगरानी ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1587–एक/09 जिला –सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
10.12.15	यह रिव्यु प्रकरण कमांक 1587–एक/09 राजस्व मण्डल के निगरानी प्रकरण कमांक 1283–दो/06 में पारित आदेश दिनांक 5.11.09 के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर हुआ है। 2– प्रकरण का सारांश पूर्व के राजस्व मण्डल के आदेश में विद्यमान है, अतः उसे दोहराया नहीं जा रहा है, उभयपक्ष अधिवक्ताओं को तर्क हेतु अवसर दिया गया । रिव्युकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रिव्यु मेमों के आधार पर तथा प्रतिपक्ष के विद्वान अधिवक्त ने उनके प्रस्तुत व्यवहार वाद निर्णय दिनांक 4.8.14 के प्रकाश में आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। मेरे द्वारा संबंधित अभिलेखों का परिशीलन कर रिव्यु से संबंधित बिन्दुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया। रिव्यु दायर करने के मुख्य आधार ये लिये गये हैं कि राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 21.7.06 को पूर्व निगरानी प्रकरण कमांक 1283–दो/06 में यथास्थिति का आंदेश दिये जाने के बावजूद तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 16.3.09 को नामांतरण आदेश पारित करना अनुचित है। विचारोपरांत मैं यह पाता हूँ कि चूंकि राजस्व मण्डल द्वारा संबंधित निगरानी प्रकरण कमांक 1283–दो/06 में अंतिम आदेश दिनांक 5.11.09 को पारित किया गया है, अतः रिव्युकर्ता के पास तहसीलदार के आदेश	

दिनांक 16.3.09 एवं राजस्व मण्डल आदेश दिनांक 5.11.09 के मध्य राजस्व मण्डल के समक्ष यह बिन्दु उठाने के लिये पर्याप्त समय एवं अवसर उपलब्ध था, किन्तु उनके द्वारा तब यह बिन्दु नहीं उठाकर राजस्व मण्डल के आदेश के बाद रिव्यु का आधार बनाते हुये उठाया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व मण्डल द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 5.11.09 प्रकरण के गुण दोषों को विचार में लेकर विस्तृत विवेचना सहित एक स्पष्ट बोलते स्वरूप में पारित किया गया है।

प्रतिपक्ष अभिभाषक द्वारा व्यवहार वाद कमांक 72अ/2014 में पारित आदेश दिनांक 4.8.14 का संदर्भ लिया गया है। इस आदेश के पृष्ठ 10 (एवं अन्य भागों में भी) वाद बिन्दु निर्धारित कर उन पर निष्कर्ष निकाले गये हैं जिनके अनुसार वाद सम्पत्ती के (खसरा न0 408/ 3.642 है0 एवं 412/1.441 है0) के संबंध में रिव्युकर्ता के दावों को खारिज कर प्रतिपक्षकारों के दावों को मान्य किया गया है।

3– उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के प्रकाश में मैं रिव्युकर्ता का दावा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाता हूँ, एवं यह रिव्यु प्रकरण खारिज कर राजस्व मण्डल का आक्षेपित आदेश दिनांक 5.11.09 यथावत रखता हूँ। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख वापस भेजा जावे। प्रकरण दा0 द0 हो।

10.12.15

सदस्य